प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगराम पुत्र स्व0 शिवनरायण, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगराम पुत्र स्व0 शिवनरायण (दिनांक 13.12.2023 तक बन्दी की आयु लगभग 62 वर्ष 04 माह 13 दिन) सिजनौडा, थाना-मौदहा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। रिक्शा चालक जगराम ने दिनांक 23.07.1986 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिक्शे में बैठी सवारी करन सिंह व उसकी पत्नी मैना देवी से कीमती सामान लूट कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-117/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 411 के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०). हमीरपुर के आदेश दिनांक 24.07.1990 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 14 दिन मात्र की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाला अपराध होने, भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध से इन्कार नही किये जाने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की समाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (02 लोगों की हत्या) एवं आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 13.12.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 10 माह 14 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगराम (बन्दी संख्या-269/2019) पुत्र स्व0 शिवनरायण, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-99/2026/1835(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।